



आरक्षित तिथि : 15.12.2025

निर्णीत तिथि : 13.01.2026

ए.एफ.आर.

2026:AHC:8775

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक अपील संख्या - 452 वर्ष 2021

भागवत कुशवाहा

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता (ओं) के अधिवक्ता : अभिषेक मयंक, अभिषेक श्रीवास्तव, अरबाज़ दानिश, विपिन कुमार, ज़िया नाज़ ज़ैदी

प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : जी.ए., राजेश कुमार सिंह, विनय

कक्ष में

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक मयंक, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-I श्री संजय सिंह को सुना गया।
2. यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता द्वारा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 07, जिला-झाँसी द्वारा विशेष सत्र विचारण संख्या 41/2015 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम भगवत कुशवाहा) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 05.09.2019 तथा दंडादेश दिनांक 06.09.2019 के विरुद्ध दायर की गई है। यह मुकदमा अपराध संख्या 64/2015, पुलिस थाना-सकरार, जिला-झाँसी से उत्पन्न हुआ है, जिसके तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है और धारा 366 आई.पी.सी. के अंतर्गत पाँच वर्ष के कारावास तथा 10,000/- रुपये के जुर्माने की; और धारा 376 आई.पी.सी. के अंतर्गत दस वर्ष के कारावास तथा 20,000/- रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है, जिसमें व्यतिक्रम (जुर्माना अदा न करने) की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्थिति के लिए भी प्रावधान शामिल है।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि: दिनांक 28.05.2015 को दोपहर 12:25 बजे, मुखबिर रामस्वरूप (पुत्र घनश्याम, निवासी ग्राम- लुहारी, थाना- सक्रार, जिला- झांसी) द्वारा एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें उसने बताया कि उसकी बेटी दिनांक 28.05.2015 को सुबह 3:00 बजे से लापता थी, और बाद में उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का अपहरण उन्हीं के गांव के रहने वाले भगवत पुत्र मुन्नू कुशवाहा ने कर लिया है।

4. पुलिस ने मिली जानकारी के आधार पर अपीलकर्ता भागवत के विरुद्ध धारा 363, 366 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम (जिसे आगे 'एस.सी./एस.टी. अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3(2)(वि) के तहत, मुकदमा अपराध संख्या 64/2015, दिनांक 28.05.2015 के रूप में एक आपराधिक मामला दर्ज किया और विवेचना शुरू कर दी।

5. पीड़िता को पुलिस ने 29.05.2015 को मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन से बरामद किया और उसका बयान दर्ज किया गया। 30.05.2015 को उसका मेडिकल परीक्षण किया गया और 02.06.2015 को उम्र का पता लगाने के लिए ओसिफिकेशन टेस्ट किया गया, जिसमें पीड़िता की उम्र 17 वर्ष पाई गई। पीड़िता का बयान 04.06.2015 को मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया। आरोपी/अपीलकर्ता को 04.06.2015 को गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारी ने सबूत पूरे होने के बाद, आरोपी/अपीलकर्ता के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 363, 366 और 376, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (जिसे आगे 'पॉक्सो अधिनियम' कहा गया है) की धारा 4 और 'एस.सी./एस.टी. अधिनियम' की धारा 3(2)(वी) के तहत चार्जशीट दायर की।

6. ट्रायल कोर्ट ने, चार्जशीट में बताए गए अपराधों का संज्ञान लेने के बाद और अपीलकर्ता को अपनी बात रखने का अवसर देने के बाद, आई. पी. सी. की धारा 363, 366 और 376, पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 और एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा 3(2)(वी) के तहत आरोप तय किए।

7. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 8 गवाहों की विवेचना की है और दस्तावेज़ी साक्ष्य के रूप में 8 दस्तावेज़ों को साबित किया है। विवेचना किए गए गवाहों की सूची निम्नलिखित है :-

क्रम संख्या	गवाह का नाम	वर्ग	दस्तावेज़ सिद्ध हुआ
-------------	-------------	------	---------------------



पीडब्ल्यू-1	रामस्वरूप	सूचनाकर्ता (पीड़ित के पिता एवं घटना के प्रत्यक्षदर्शी)	प्रदर्श क'11 (लिखित रिपोर्ट)
पीडब्ल्यू-2	राजकुमारी	पीड़ित की माँ और तथ्यों की गवाह	--
पीडब्ल्यू-3	पीड़ित एक्स के रूप में नामित	पीड़ित	प्रदर्श 'क-1' और 'क-2' (धारा 164 सीआर.पी.सी. के अंतर्गत पीड़ित का बयान)
पीडब्ल्यू-4	डॉ. रश्मि सिंह कुशवाहा	चिकित्सा-विधिक (औपचारिक गवाह)	एग्जिबिट क'3 (मेडिको लीगल एग्जामिनेशन रिपोर्ट एग्जिबिट क'4 सप्लीमेंट्री रिपोर्ट)
पीडब्ल्यू-5	डॉ. एम.एस. राजपूत	चिकित्सक	प्रदर्श क'5 (योनि स्मीयर जांच रिपोर्ट)
पीडब्ल्यू-6	डॉ. राजेंद्र सिंह	रेडियोलॉजिस्ट (औपचारिक गवाह)	प्रदर्श क'6 (अस्थि-निर्माण परीक्षण रिपोर्ट)
पीडब्ल्यू-7	जितेंद्र कुमार दुबे	जांच अधिकारी	प्रदर्श क'7 (आरोप-पत्र) प्रदर्श क'8 (स्थल-नक्शा)
पीडब्ल्यू-8	कांस्टेबल मगन सिंह	कांस्टेबल क्लर्क	प्रदर्श क'9 (एफआईआर) प्रदर्श क'10 (सामान्य डायरी प्रविष्टि संख्या 25)

8. संक्षेप में, उनकी गवाही नीचे दी गई है -

(i) पीडब्लू-1 रामस्वरूप इस मामले के शिकायतकर्ता और पीड़ित के पिता हैं। शिकायतकर्ता प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। शिकायतकर्ता ने न्यायालय के सामने अपनी गवाही में, अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान, बताया है कि 28.05.2015 को वे अपने घर के अंदर सो रहे थे और उनकी बेटी, जो पीड़ित है, वह भी घर की छत पर सो रही थी। वे नीम के पेड़ के नीचे सो रहे थे। रात के लगभग 3:00 बजे, जब उनकी पत्नी जागी, तो उसने पाया कि उनकी बेटी (पीड़ित) गायब थी और उसे भगवत कुशवाहा ले गया था। इससे पहले भी एक बार, अपीलकर्ता उनकी बेटी को ले गया था और उस घटना के संबंध में, उसके खिलाफ एक एफ आई आर दर्ज की गई थी और वह मामला अभी भी लंबित है। उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि घटना से पहले वाली रात को भगवत को घर के आसपास घूमते हुए देखा गया था। प्रति-परीक्षा में, गवाह बताता है कि उसकी बेटी दो दिन बाद बरामद हुई थी। सुविधा के लिए, पी डब्लू-1 रामस्वरूप द्वारा पुलिस स्टेशन-सक्रार, जिला- झांसी में दायर किया गया लिखित आवेदन नीचे दिया जा रहा है :-

"निवेदन है कि प्रार्थी रामस्वरूप एस/ओ घनश्यामदास अहिरवार निवासी लुहारी थाना सकरार झांसी विनीता डी/ओ रामस्वरूप 12:00 बजे रात्रि में घर पर थी इस कारण हम लोग सो गए माँ रात्रि में तीन बजे जगी तो



बच्ची नहीं मिली तो हमें ऐहसास हुआ तो भगवत एस/ओ मन्नु कुशवा
का लड़का लेकर भाग गया 28/5/2015 की तारीख थी।

अतः श्री मान जी से निवेदन है कि उचित कानूनी कार्यवाही करने की
कृपा की जाए।"

(ii) पीडब्लू-2 राजकुमारी पीड़िता की माँ है और वह प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।

(iii) पीडब्लू-3 एक्स पीड़िता है और उसने अपनी मुख्य परीक्षा में न्यायालय के सामने शपथ लेकर कहा है कि यह घटना आज से लगभग डेढ़ साल पहले, रात के 12 बजे हुई थी। तब आरोपी भागवत उसके घर आया और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया, और रास्ते में एक खेत में उसने उसके साथ बलात्कार किया। फिर वह उसे मौराणीपुर ले गया और वहाँ से बस द्वारा झाँसी ले गया; दो दिन बाद वह उसे झाँसी से वापस मौराणीपुर ले आया। मौराणीपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और फिर उन्हें वापस पुलिस थाने ले आई। 02.06.2015 को उसे महिला थाने लाया गया, जहाँ पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। इस बयान में उसने कहा था कि भागवत ने खेत में उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया था। उसी दिन उसे ज़िला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी माँ की मौजूदगी में उसकी मेडिकल विवेचना की गई, जिसके लिए उसने सहमति दी थी। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहाँ मजिस्ट्रेट ने उसका बयान दर्ज किया। गवाह ने इस बयान को प्रदर्श क.2 के रूप में प्रमाणित किया है। अपनी मुख्य परीक्षा में, गवाह ने कहा है कि..... वह मजिस्ट्रेट को बलात्कार के बारे में बताना भूल गई थी। अपनी प्रति-परीक्षा (जिरह) में, गवाह कहती है कि उसके पिता होमगार्ड हैं, और आगे कहती है कि उसे घटना की तारीख याद नहीं है, और न ही उसे घटना का महीना या साल याद है। भागवत रात के 12 बजे उसे अपने साथ ले जाने आया था; उसने उससे घर का दरवाज़ा खुलवाया और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। उसने शोर मचाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसके पिता और माँ घर पर ही थे। पुलिस ने दो दिन बाद उसे मौराणीपुर से बरामद किया। वह आगे कहती है कि वह भागवत के साथ 'मऊ' गई थी; वे सुबह 3 बजे बस से मऊ पहुँचे और वहाँ से वह उसे बस द्वारा झाँसी ले गया। उसने शोर मचाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसका बयान न्यायालय में सीआर.पी.सी. की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था। जिसमें उसने यह नहीं बताया कि वह भागवत से प्यार करती थी और अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। मजिस्ट्रेट ने गलत बयान दर्ज किया है। उसने मजिस्ट्रेट को बताया था कि उसकी



उम्र 18 साल है। मजिस्ट्रेट ने उसका बयान गलत दर्ज किया। उसने मजिस्ट्रेट को रेप के बारे में नहीं बताया। इसलिए, उसने उसके बयान में यह नहीं लिखा। उसने मऊ में शोर मचाया था, लेकिन झांसी में कोई शोर नहीं मचाया। वह अपनी मर्जी से भागवत के साथ नहीं गई थी। उसने लगभग एक साल पहले ग्वालियर में अपनी मर्जी और सहमति से शादी की थी। घटना के समय उसके पिता झूटी पर थे। वह पढ़ी-लिखी है, लेकिन उसने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया।

(iv) पीडब्लू-4 वह डॉक्टर हैं जिन्होंने 30.05.2015 को पीड़िता की मेडिकल विवेचना की थी और उन्हें ओसिफिकेशन टेस्ट (हड्डियों की उम्र की विवेचना) के लिए रेफर किया था; साथ ही, उन्होंने पीड़िता के वजाइनल स्वेब भी लिए थे ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें जीवित या मृत शुक्राणु मौजूद हैं या नहीं। डॉक्टर को पीड़िता के शरीर पर चोट के कोई बाहरी निशान नहीं मिले। पीड़िता की मेडिकल विवेचना करने पर, उन्होंने पाया कि पीड़िता के हाइमन (योनि-झिल्ली) में एक पुराना घाव था जो अब भर चुका था; इसके अलावा, वजाइनल स्मियर की पैथोलॉजिकल विवेचना रिपोर्ट देखने के बाद, डॉक्टर को हाल ही में हुई किसी भी यौन गतिविधि का कोई सबूत नहीं मिला।

(v) पीडब्लू-5 डॉ. एम.एस. राजपूत ने योनि स्मीयर की पैथोलॉजिकल जांच की और स्लाइड्स में कोई भी जीवित या मृत शुक्राणु नहीं पाया।

(vi) पीडब्लू-6 डॉ. राजेंद्र सिंह ने 01.06.2015 को पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए अस्थि-निर्माण (हड्डी बन जाना) परीक्षण किया और पीड़िता का एक्स-रे लिया, तथा निम्नलिखित आधारों पर पीड़िता की उम्र 17 वर्ष होने की राय दी:

कोहनी के जोड़ के आस-पास के एपिफाइसिस जुड़ गए हैं; रेडियस और अल्ना हड्डियों के निचले सिरों के एपिफाइसिस में जुड़ने की रेखाएँ दिखाई देती हैं; दोनों क्लेविकल हड्डियों के भीतरी सिरों के एपिफाइसिस अभी तक नहीं जुड़े हैं; घुटने के जोड़ के आस-पास के एपिफाइसिस जुड़ गए हैं; इलियक क्रेस्ट का सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर अभी तक नहीं जुड़ा है। अभियोजन पक्ष द्वारा एक्स-रे प्लेटों को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया गया है।

(vii) पीडब्लू-7 जितेंद्र कुमार दुबे इस मामले के विवेचना अधिकारी हैं।

(viii) पीडब्लू-8 कांस्टेबल मगन सिंह पुलिस स्टेशन-सकरार में कांस्टेबल क्लर्क थे।

9. अभियोजन पक्ष के सबूत दर्ज करने के बाद, अपीलकर्ता का बयान धारा 313



सीआर.पी.सी. के तहत दर्ज किया गया, जिसमें अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे झूठा फंसाया गया है और गवाहों की गाँव की आपसी रंजिश के कारण उससे दुश्मनी थी।

10. हालाँकि, अपीलकर्ता ने अपने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया।
11. अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी/अपीलकर्ता को धारा 363 आई.पी.सी., पॉक्सो एक्ट की धारा 3 (धारा 4 के साथ पठित) और एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा 3(2)(वी) के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।
12. ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को धारा 366 आई.पी.सी. के तहत अपराध का दोषी पाया और अपीलकर्ता को 5 साल की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई; जुर्माना न देने पर, अपीलकर्ता को 3 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
13. ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को धारा 376 आई.पी.सी. के तहत अपराध का दोषी पाया और अपीलकर्ता को 10 साल की कठोर कैद और 20,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई; जुर्माना न देने पर, अपीलकर्ता को 6 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
14. इसलिए, यह अपील दायर की गई है।
15. अपीलकर्ता के अधिवक्ता, ए.जी.ए. और पीड़िता के निजी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं और केस के रिकॉर्ड की जांच की गई।
16. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि, इस तथ्य के बावजूद कि ट्रायल कोर्ट ने खुद पीड़िता को बालिग माना था, उसने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए उन मेडिकल सबूतों को नज़रअंदाज़ कर दिया जो अभियोजन पक्ष के केस का समर्थन नहीं करते थे; साथ ही, धारा 363 आई.पी.सी. और धारा 376 आई.पी.सी. के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराते समय कोर्ट ने अपने न्यायिक विवेक का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। अपीलकर्ता को झूठा फंसाया गया है।
17. ए.जी.ए. और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट का फैसला किसी भी तरह की अनियमितता से मुक्त है, और ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का सही मूल्यांकन करने के बाद, अपीलकर्ता को लगाए गए आरोपों के लिए सही तौर पर दोषी ठहराया है।
18. रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
19. इस मामले का सूचनाकर्ता पी डब्ल्यू-1, पीड़िता का पिता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) पुलिस थाने में 28.05.2015 को 12:25 बजे दर्ज की गई थी, और पीड़िता को पुलिस



ने 29.05.2015 को बरामद किया, तथा पीड़िता की चिकित्सकीय विवेचना 30.05.2015 को की गई। उम्र निर्धारित करने के लिए 02.06.2015 को एक अस्थि-परीक्षण (अस्थिकरण परीक्षण) किया गया, जिसमें पीड़िता की उम्र 17 वर्ष पाई गई। अस्थि-परीक्षण रिपोर्ट को रेडियोलॉजिस्ट पी डब्लू-6 जितेंद्र कुमार दुबे द्वारा 'प्रदर्शक -6' (दस्तावेज का '6') के रूप में सिद्ध किया गया है। अपीलकर्ता/आरोपी को 04.06.2015 को गिरफ्तार किया गया था।

20. रेडियोलॉजिस्ट पी डब्लू-6 के साक्ष्य के अनुसार, पीड़िता की उम्र 17 वर्ष थी और वह एक नाबालिग थी।

21. माननीय उच्चतम न्यायालय ने, **जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 2013 एआई आर एस सी 3467** के मामले में, पैरा 22 और 23 में, एक अवयस्क पीड़ित की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत की है :-

“..22. किसी नाबालिग की उम्र तय करने के मुद्दे पर, सिर्फ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 (जिसे आगे 2007 के नियम कहा गया है) के नियम 12 का जिक्र करना काफी है। ऊपर बताए गए 2007 के नियम, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 68(1) के तहत बनाए गए हैं। ऊपर जिस नियम 12 का जिक्र किया गया है, वह इस प्रकार है:

12. उम्र तय करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

(1) किसी भी ऐसे मामले में जो किसी बच्चे या कानून से टकराव वाले किशोर से जुड़ा हो, न्यायालय या बोर्ड, या जैसा भी मामला हो, इन नियमों के नियम 19 में बताई गई समिति, ऐसे किशोर या बच्चे, या कानून से टकराव वाले किशोर की उम्र, उस मकसद के लिए अर्जी देने की तारीख से तीस दिनों के अंदर तय करेगी।

(2) न्यायालय या बोर्ड, या जैसा भी मामला हो, समिति, किशोर या बच्चे, या जैसा भी मामला हो, कानून से टकराव वाले किशोर के किशोर होने या न होने का फैसला, पहली नज़र में उसकी शारीरिक बनावट या दस्तावेजों (अगर उपलब्ध हों) के आधार पर करेगी, और उसे ऑब्जर्वेशन होम या जेल भेज देगी।

(3) किसी भी ऐसे मामले में जो किसी बच्चे या कानून से टकराव वाले किशोर से जुड़ा हो, उम्र तय करने की विवेचना न्यायालय या बोर्ड, या जैसा भी मामला हो, समिति द्वारा सबूत लेकर की जाएगी, जिसमें (ए)(i) मैट्रिक या उसके बराबर के सर्टिफिकेट (अगर उपलब्ध हों) लिए जाएंगे; और अगर वे उपलब्ध न हों, तो;

(ii) उस स्कूल (प्ले स्कूल के अलावा) से जन्म की तारीख का सर्टिफिकेट लिया जाएगा जहाँ बच्चे ने सबसे पहले पढ़ाई की हो; और अगर वह भी उपलब्ध न हो, तो; (iii) किसी निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी

जन्म सर्टिफिकेट लिया जाएगा; (बी) और सिर्फ तभी, जब ऊपर के खंड (ए) के (i), (ii) या (iii) में से कोई भी उपलब्ध न हो, तो एक विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल राय ली जाएगी, जो किशोर या बच्चे की उम्र बताएगा। अगर उम्र का ठीक-ठीक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता..." ...हो जाने पर, न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, अपने द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यदि आवश्यक समझे, तो बच्चे या किशोर को एक वर्ष की सीमा के भीतर उसकी आयु को कम मानकर लाभ दे सकती है; और, ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, उपलब्ध साक्ष्य या, जैसा भी मामला हो, चिकित्सीय राय पर विचार करने के बाद, उसकी आयु के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज करेगी, और खंड (ए)(i), (ii), (iii) में निर्दिष्ट साक्ष्यों में से कोई एक, या उनकी अनुपस्थिति में, खंड (बी) ऐसे बच्चे या विधि के साथ संघर्षरत किशोर की आयु का निर्णायक प्रमाण माना जाएगा।

(4) यदि किसी किशोर या बच्चे, या कानून के साथ संघर्षरत किशोर की उम्र, अपराध की तारीख को 18 वर्ष से कम पाई जाती है—और यह उप-नियम (3) में निर्दिष्ट किसी भी निर्णायक प्रमाण के आधार पर सिद्ध होता है—तो न्यायालय, बोर्ड, या (जैसा भी मामला हो) समिति लिखित रूप में एक आदेश पारित करेगी। इस आदेश में किशोर की उम्र का उल्लेख होगा और अधिनियम तथा इन नियमों के प्रयोजनार्थ, उसकी 'किशोर' (किशोर) स्थिति या अन्यथा स्थिति की घोषणा की जाएगी; साथ ही, इस आदेश की एक प्रति ऐसे किशोर या संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

(5) सिवाय उन मामलों के जहाँ आगे की विवेचना या अन्य कार्रवाई की आवश्यकता हो—उदाहरणार्थ, अधिनियम की धारा 7-ए, धारा 64 और इन नियमों के प्रावधानों के तहत—न्यायालय या बोर्ड द्वारा, इस नियम के उप-नियम (3) में संदर्भित प्रमाण पत्र या किसी अन्य दस्तावेजी प्रमाण की विवेचना करने और उसे प्राप्त करने के बाद, कोई और विवेचना नहीं की जाएगी।

(6) इस नियम में निहित प्रावधान उन निपटाए जा चुके मामलों पर भी लागू होंगे, जिनमें किशोर की स्थिति का निर्धारण उप-नियम (3) और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था; ऐसे मामलों में, कानून के साथ संघर्षरत किशोर के सर्वोत्तम हित में एक उचित आदेश पारित करने हेतु, अधिनियम के तहत दंडादेश (दंड) में छूट देने की आवश्यकता होगी।

23. हालाँकि नियम 12 सख्ती से केवल कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे की उम्र तय करने के लिए लागू होता है, हमारा मानना है कि उपर्युक्त कानूनी प्रावधान उम्र तय करने का आधार होना चाहिए, यहाँ तक कि उस बच्चे के लिए भी जो किसी अपराध का शिकार है। क्योंकि, हमारी राय में, जहाँ तक नाबालिग होने के मुद्दे का सवाल है, कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे और अपराध के शिकार बच्चे के बीच शायद ही कोई अंतर है। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, अभियोक्त्री वी डब्लू, पी डब्लू 6 की उम्र तय करने के लिए

2007 के नियमों के नियम 12 को लागू करना न्यायसंगत और उचित होगा। उम्र को निर्णायक रूप से तय करने का तरीका ऊपर उद्धृत नियम 12 के उप-नियम (3) में बताया गया है। उपर्युक्त प्रावधान के तहत, किसी बच्चे की उम्र नियम 12(3) में दिए गए कई विकल्पों में से पहले उपलब्ध आधार को अपनाकर तय की जाती है। यदि, नियम 12(3) के तहत विकल्पों की योजना में, कोई विकल्प पिछले खंड में दिया गया है, तो बाद के खंड में दिए गए विकल्प पर उसका अधिभावी प्रभाव होता है। उपलब्ध सबसे उच्च-वरीयता वाला विकल्प ही किसी नाबालिग की उम्र को निर्णायक रूप से तय करेगा। नियम 12(3) की योजना में, संबंधित बच्चे का मैट्रिकुलेशन (या समकक्ष) प्रमाण पत्र सबसे उच्च-वरीयता वाला विकल्प है। यदि उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो किसी अन्य साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। केवल उक्त प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में ही, नियम 12(3) उस स्कूल में दर्ज जन्म तिथि पर विचार करने का प्रावधान करता है जिसमें बच्चे ने सबसे पहले पढ़ाई की थी। यदि जन्म तिथि की ऐसी प्रविष्टि उपलब्ध है, तो उसमें दर्शाई गई जन्म तिथि को अंतिम और निर्णायक माना जाएगा, और किसी अन्य सामग्री पर भरोसा नहीं किया जाएगा। केवल ऐसी प्रविष्टि की अनुपस्थिति में ही, नियम 12(3) किसी निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर भरोसा करने का प्रावधान करता है। एक बार फिर, यदि ऐसा कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो संबंधित बच्चे की आयु निर्धारित करने के लिए किसी भी अन्य सामग्री पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र बच्चे की आयु को निर्णायक रूप से निर्धारित करेगा। केवल उपर्युक्त में से किसी की अनुपस्थिति में ही नियम 12(3) के तहत संबंधित बच्चे की आयु का निर्धारण चिकित्सीय राय के आधार पर किए जाने का प्रावधान है।”

22. जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 के सेक्शन 94 में यह प्रावधान है-

"94. (1) जहाँ, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत (गवाही देने के उद्देश्य के अलावा) समिति या बोर्ड के सामने लाए गए व्यक्ति की शारीरिक बनावट के आधार पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, तो समिति या बोर्ड इस अवलोकन को दर्ज करेगा, जिसमें बच्चे की उम्र यथासंभव

सटीक रूप से बताई जाएगी, और उम्र की आगे की पुष्टि का इंतज़ार किए बिना, मामले के अनुसार, धारा 14 या धारा 36 के तहत विवेचना आगे बढ़ाएगा।"

(2) यदि समिति या बोर्ड के पास इस बात पर संदेह करने के उचित आधार हों कि उनके सामने लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, साक्ष्य प्राप्त करके आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा:



- (i) स्कूल से जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो); और यदि ये उपलब्ध न हों, तो;
- (ii) किसी निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र;
- (iii) और केवल ऊपर बताए गए (i) और (ii) की अनुपस्थिति में, उम्र का निर्धारण ओसिफिकेशन टेस्ट या कमेटी या बोर्ड के आदेश पर किए गए किसी अन्य नवीनतम मेडिकल उम्र निर्धारण टेस्ट द्वारा किया जाएगा:
- बशर्ते कि कमेटी या बोर्ड के आदेश पर किया गया ऐसा उम्र निर्धारण टेस्ट, ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
- (3) कमेटी या बोर्ड द्वारा किसी व्यक्ति की जो उम्र दर्ज की जाएगी, जिसे उनके सामने लाया गया है, उसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक उम्र माना जाएगा। (जोर दिया गया)

23. आगे बढ़ने से पूर्व, इस अपील में अंतर्निहित विधि के प्रावधानों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है :-

पॉक्सो अधिनियम की धारा 27 -

- "27. बच्चे की मेडिकल विवेचना। (1) जिस बच्चे के संबंध में इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है, उसकी मेडिकल विवेचना—भले ही इस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए कोई एफ आई आर या शिकायत दर्ज न की गई हो—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) की धारा 164 ए के अनुसार की जाएगी।
- (2) यदि पीड़ित एक बच्ची है, तो मेडिकल विवेचना एक महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी।
- (3) मेडिकल विवेचना बच्चे के माता-पिता, या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी, जिस पर बच्चा भरोसा या विश्वास करता हो।
- (4) जहाँ, यदि किसी कारणवश, बच्चे की मेडिकल विवेचना के दौरान उप-धारा (3) में उल्लिखित बच्चे के माता-पिता या अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो मेडिकल विवेचना चिकित्सा संस्थान के प्रमुख द्वारा नामित किसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी।"

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (यथा-संशोधित) की धारा 164 --

164A. बलात्कार की पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षा -

- (1) जहाँ, उस चरण के दौरान जब बलात्कार करने या बलात्कार करने के प्रयास के अपराध की विवेचना चल रही हो, यह प्रस्ताव किया जाता है कि जिस महिला के साथ बलात्कार किए जाने या उसका प्रयास किए जाने का आरोप है, उस महिला की शारीरिक विवेचना किसी मेडिकल विशेषज्ञ से करवाई जाए, तो ऐसी विवेचना किसी ऐसे पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा की



जाएगी जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में कार्यरत हो, और ऐसे प्रैक्टिशनर की अनुपस्थिति में, किसी अन्य पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा की जाएगी; यह विवेचना उस महिला की सहमति से, या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति से की जाएगी, और ऐसी महिला को, उक्त अपराध के किए जाने से संबंधित जानकारी प्राप्त होने के समय से चौबीस घंटे के भीतर, ऐसे पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजा जाएगा।

(2) वह पंजीकृत चिकित्सक, जिसके पास ऐसी महिला को भेजा जाता है, बिना किसी देरी के उस महिला की शारीरिक विवेचना करेगा और अपनी विवेचना की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे, अर्थात्:

- (i) महिला का नाम और पता, तथा उस व्यक्ति का नाम और पता जो उसे लेकर आया था;
- (ii) महिला की आयु;
- (iii) डी एन ए प्रोफाइलिंग के लिए महिला के शरीर से लिए गए नमूने का विवरण;
- (iv) यदि महिला के शरीर पर कोई चोट के निशान हों, तो उनका विवरण;
- (v) महिला की सामान्य मानसिक स्थिति; और
- (vi) अन्य महत्वपूर्ण विवरण, जो उचित विस्तार से दिए गए हों।

(3) रिपोर्ट में, निकाले गए हर निष्कर्ष के कारणों का ठीक-ठीक उल्लेख किया जाएगा।

(4) रिपोर्ट में विशेष रूप से यह दर्ज किया जाएगा कि महिला की, या उसकी ओर से ऐसी विवेचना के लिए सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर ली गई थी।

(5) विवेचना शुरू होने और पूरी होने का ठीक-ठीक समय भी रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा।

(6) रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बिना किसी देरी के, रिपोर्ट को जांच अधिकारी को भेजेगा, जो उसे धारा 173 में बताए गए मजिस्ट्रेट को, उस धारा की उप-धारा (5) के खंड (ए) में बताए गए दस्तावेजों के हिस्से के तौर पर, आगे भेज देगा।

(7) इस धारा में कोई भी बात ऐसी नहीं समझी जाएगी जिससे किसी महिला की सहमति के बिना, या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना, किया गया कोई भी परीक्षण वैध माना जाए। स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "परीक्षण" और "रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर" का वही अर्थ होगा जो धारा 53 में है।

बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 29 -



"29. कुछ अपराधों के संबंध में उपधारणा - जहाँ किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और धारा 9 के तहत कोई अपराध करने, उसका दुष्प्रेरण करने या उसे करने का प्रयास करने के लिए अभियोजन चलाया जाता है, तो विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, उसका दुष्प्रेरण किया है या उसे करने का प्रयास किया है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।"

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(12) 'बच्चे' को इस प्रकार परिभाषित करती है: बच्चा वह व्यक्ति है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

24. 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' की धारा 34, विधि के साथ संघर्षरत अवयस्क/पीड़ित अवयस्क की आयु निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी और प्रक्रिया निर्धारित करती है।

34. किसी बच्चे द्वारा अपराध किए जाने की स्थिति में प्रक्रिया और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का निर्धारण -

(1) जहाँ इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी बच्चे द्वारा किया जाता है, तो ऐसे बच्चे के साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) के प्रावधानों के तहत व्यवहार किया जाएगा।

(2) यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो ऐसे प्रश्न का निर्धारण विशेष न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति की आयु के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद किया जाएगा, और वह ऐसे निर्धारण के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

(3) विशेष न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी आदेश केवल इस बाद के प्रमाण के आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि उप-धारा (2) के तहत उसके द्वारा निर्धारित किसी व्यक्ति की आयु, उस व्यक्ति की सही आयु नहीं थी।

25. ऋषिपल सिंह सोलंकी, (2022) 8 एस सी सी 602 में, इस न्यायालय ने मृतक के पिता द्वारा दायर अपील पर विचार करते हुए, नियम 2007 और जे जे अधिनियम 2015 के बीच के अंतर को रेखांकित किया। इसमें यह टिप्पणी की गई:

"29. दोनों अधिनियमों के तहत प्रक्रिया में अंतर को इस प्रकार समझा जा

सकता है:

29.1. जे जे अधिनियम, 2015 के अनुसार, धारा 94(2) के खंड (i) और (ii) में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में, उक्त अधिनियम की धारा 94 के तहत समिति या जे जे बोर्ड के आदेश पर ओसिफिकेशन टेस्ट या आयु से संबंधित किसी अन्य मेडिकल टेस्ट द्वारा आयु निर्धारित करने का प्रावधान है; जबकि, जे जे नियम, 2007 के नियम 12 के तहत, प्रासंगिक दस्तावेजों के अभाव में, विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल राय लेनी होती थी, जो किशोर या बच्चे की आयु घोषित करता था।"

29.2. साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में, जे जे नियम, 2007 के नियम 12 के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया था, उसी प्रावधान को अब जे जे अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा (2) के अंतर्गत एक मूल प्रावधान के रूप में शामिल किया गया है।

29.3. जे जे अधिनियम, 2000 की धारा 49 के तहत, जहाँ किसी सक्षम अधिकारी को यह लगा कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति एक किशोर या बच्चा है, तो वह अधिकारी, विवेचना करने और ज़रूरी सबूत लेने के बाद, उस व्यक्ति के किशोर होने के बारे में एक निष्कर्ष दर्ज कर सकता था और उस व्यक्ति की उम्र, जहाँ तक हो सके, बता सकता था। धारा 49 की उप-धारा (2) में कहा गया था कि किसी सक्षम अधिकारी का कोई भी आदेश सिर्फ इस बाद के सबूत के आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि जिस व्यक्ति के संबंध में आदेश दिया गया था, वह किशोर नहीं है; और सक्षम अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति की जो उम्र दर्ज की गई थी, उसे इस एक्ट के उद्देश्य के लिए, उस व्यक्ति की असली उम्र माना जाएगा।

26. ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में, अभियोजन द्वारा पीड़ित की उम्र के संबंध में कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश न किए जाने पर, महादेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013)14 एस सी सी 637 और जयमाला बनाम सेक्रेटरी (गृह), जम्मू-कश्मीर राज्य, ए आई आर 1982 एस सी के मामलों में दिए गए फैसलों पर भरोसा करते हुए, और ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट पर विचार करते हुए, यह माना कि पीड़ित की उम्र 18 साल से ज़्यादा थी और घटना के समय वह बालिग थी। पीड़ित के बालिग होने के बिंदु पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को अपील के ज़रिए चुनौती नहीं दी गई है, और रिकॉर्ड पर पीड़ित की उम्र के संबंध में किसी भी दस्तावेजी सबूत के अभाव में, तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न केस लॉ के फैसलों की रोशनी में, ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष में किसी भी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है।

27. चूंकि घटना के समय पीड़िता बालिग थी, इसलिए ट्रायल कोर्ट का वह निष्कर्ष, जिसमें



अपीलकर्ता को आई.पी.सी. की धारा 363 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत लगाए गए आरोपों से बरी किया गया है, उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

28. ट्रायल कोर्ट ने यह माना है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा 3(2)(वि) के तहत आरोप नहीं बनता है, और उसने अपीलकर्ता को एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा 3(2)(वि) के तहत लगाए गए आरोप से बरी कर दिया है। इस निष्कर्ष में किसी भी तरह के दखल की ज़रूरत नहीं है।

29. अब मन में यह सवाल उठता है कि क्या अपीलकर्ता ने पीड़िता का अपहरण किया था और उसके साथ बलात्कार किया था?

30. जहाँ तक आई.पी.सी. की धारा 366 और 376 के तहत लगाए गए आरोपों का सवाल है, तो भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 366 और 375 के तहत अपराध साबित करने के लिए 'सहमति' एक बुनियादी पहलू है।

31. कानूनी तौर पर, सहमति का मतलब किसी खास काम को करने के लिए दी गई एक स्पष्ट, अपनी मर्जी से और पूरी जानकारी के साथ दी गई मंजूरी है। आई.पी.सी. की धारा 375 के दायरे में, सहमति बिना किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती, हेर-फेर या धोखे के, पूरी तरह से अपनी मर्जी से दी जानी चाहिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि सहमति में महिला की तरफ से सक्रिय और अपनी मर्जी से भागीदारी शामिल होनी चाहिए, न कि सिर्फ डर या दबाव के कारण चुपचाप मान लेना या झुक जाना।

32. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 366 के तहत, किसी महिला को अगवा करना, भगा ले जाना, या उसे शादी करने के लिए मजबूर करना, या उसके पति के अलावा किसी और के साथ नाजायज़ संबंध बनाने के लिए उकसाना, एक गंभीर अपराध माना जाता है। इस प्रावधान ने महिलाओं को मिली आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा, यह उन जघन्य अपराधों को रोकने में भी मददगार साबित हुआ है, जो लोगों के मौलिक अधिकारों और गरिमा का उल्लंघन करते हैं।

33. **आई.पी.सी. की धारा 366** :- 'किसी स्त्री का अपहरण, व्यपहरण या उसे विवाह के लिए विवश करने हेतु प्रेरित करना, आदि' में कहा गया है :

“जो कोई किसी स्त्री का अपहरण या व्यपहरण इस आशय से करेगा कि उसे किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए विवश किया

जाए, या यह जानते हुए करेगा कि उसे ऐसा करने के लिए विवश किए जाने की संभावना है; अथवा इस आशय से करेगा कि उसे अवैध यौन संबंध के लिए विवश या प्रलोभित किया जाए, या यह जानते हुए करेगा कि उसे अवैध यौन संबंध के लिए विवश या प्रलोभित किए जाने की संभावना है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी भागी होगा; और जो कोई, इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी के माध्यम से, या अपने अधिकार का दुरुपयोग करके, या किसी अन्य प्रकार के दबाव का प्रयोग करके, किसी स्त्री को किसी स्थान से जाने के लिए इस आशय से प्रेरित करेगा कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध के लिए विवश या प्रलोभित किया जाए, या यह जानते हुए प्रेरित करेगा कि उसे ऐसा किए जाने की संभावना है, तो वह भी उपर्युक्त रीति से दंडनीय होगा।”

34. भारतीय दंड संहिता की धारा 366 में कुछ विशिष्ट तत्व शामिल हैं, जिन्हें किसी अपराध का गठन करने के लिए सिद्ध किया जाना आवश्यक है। ये तत्व निम्नलिखित हैं:

“ऐसे आरोपी को वास्तव में आईपीसी की धारा 359 और 362 में परिभाषित अपहरण या व्यपहरण का अपराध करने का दोषी पाया जाना चाहिए। अपहरण का अर्थ है किसी नाबालिग को उसके स्वाभाविक अभिभावक की सहमति के बिना कहीं ले जाना; जबकि दूसरी ओर, व्यपहरण का अर्थ है किसी व्यक्ति को धमकी, छल या ज़बरदस्ती से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर करना।”

35. आई.पी.सी. की धारा 375 "बलात्कार" के अपराध को परिभाषित करती है, और आई.पी.सी. की धारा 376 "बलात्कार" के अपराध के लिए सज़ा का प्रावधान करती है।

36. भारतीय दंड संहिता की धारा 375 यौन अपराधों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है, जो विशेष रूप से बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है। यह धारा उन शर्तों को रेखांकित करती है जिनके तहत किसी यौन कृत्य को बलात्कार माना जाता है, और इसमें सहमति के अभाव को मुख्य तत्व के रूप में जोर दिया गया है। आई.पी.सी. की धारा 375 द्वारा दी गई कानूनी परिभाषा कई कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

37. सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आई.पी.सी. की धारा 375 बलात्कार की एक स्पष्ट और सटीक परिभाषा देती है, जिससे उन अस्पष्टताओं को दूर करने में मदद मिलती है जिनके कारण अन्यथा गलत व्याख्या और न्याय में चूक हो सकती थी। 'उसकी मर्जी के खिलाफ' और 'उसकी सहमति के बिना' जैसी शर्तों को स्पष्ट करके, यह कानून वैध और अवैध



यौन आचरण की सीमाओं को निर्धारित करता है, जिससे व्यक्तियों की शारीरिक स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा होती है।

38. दूसरी बात यह है कि यौन हिंसा से बचे लोगों को न्याय दिलाने के लिए बलात्कार की कानूनी परिभाषा को समझना और उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्पष्ट कानूनी प्रावधान अपराधियों पर मुकदमा चलाने में मदद करते हैं और न्यायिक प्रणाली को उचित दंड देने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, यह एक ऐसा कानूनी माहौल बनाता है जहाँ पीड़ित खुद को समर्थित महसूस करते हैं और अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए आगे आने की उनकी संभावना अधिक होती है।

39. इसके अलावा, आई.पी.सी. की धारा 375 का महत्व कानूनी दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है, और यह यौन हिंसा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। यह बलात्कार को एक अपराध के रूप में उसकी गंभीरता को रेखांकित करता है, और सहमति तथा व्यक्तिगत सीमाओं के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देता है। ऐसा करके, यह लिंग-आधारित हिंसा के विरुद्ध व्यापक लड़ाई में, और एक ऐसे समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो सभी व्यक्तियों के अधिकारों और गरिमा को बनाए रखता है।

40. भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 375 भारत में बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है। इसका विधिक पाठ इस प्रकार है :-

“किसी व्यक्ति को ‘बलात्कार’ का दोषी तब माना जाता है, जब-उन मामलों को छोड़कर जिनका ज़िक्र आगे किया गया है-वह किसी महिला के साथ ऐसे हालात में यौन संबंध बनाता है जो नीचे दिए गए छह विवरणों में से किसी एक के अंतर्गत आते हैं:

- 1. उसकी इच्छा के विरुद्ध।*
- 2. उसकी सहमति के बिना।*
- 3. उसकी सहमति से, लेकिन तब जब उसकी सहमति उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को-जिसमें उसकी रुचि है-मृत्यु या चोट का डर दिखाकर हासिल की गई हो।*
- 4. उसकी सहमति से, लेकिन तब जब वह व्यक्ति जानता हो कि वह उसका पति नहीं है, और महिला ने अपनी सहमति इसलिए दी हो क्योंकि उसे यह विश्वास हो कि वह कोई दूसरा व्यक्ति है जिससे उसकी कानूनी तौर पर शादी हुई है (या जिसके साथ वह खुद को कानूनी तौर पर विवाहित मानती है)।*
- 5. उसकी सहमति से, लेकिन तब जब ऐसी सहमति देते समय-मानसिक अस्वस्थता, नशे की हालत, या उस व्यक्ति द्वारा (स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से) कोई नशीला या अहितकर पदार्थ दिए जाने के कारण-वह उस बात*

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ हो जिसके लिए वह अपनी सहमति दे रही है।

6. उसकी सहमति से या बिना सहमति के, लेकिन तब जब उसकी उम्र सोलह वर्ष से कम हो।”

स्पष्टीकरण: बलात्कार के अपराध के लिए आवश्यक यौन संबंध को पूरा करने हेतु प्रवेश (प्रवेश) ही पर्याप्त है।

अपवाद: किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ किया गया यौन संबंध—यदि पत्नी की आयु पंद्रह वर्ष से कम न हो—तो वह बलात्कार नहीं है।

41. यह कानूनी परिभाषा उन शर्तों को रेखांकित करती है जिनके तहत यौन संबंध को बलात्कार माना जाता है, और इसमें सहमति के महत्व तथा उन परिस्थितियों पर जोर दिया गया है जो सहमति को अमान्य कर देती हैं।

42. धारा 375 के कानूनी ढांचे को समझने के लिए, उन तत्वों की गहराई से जांच करना बहुत ज़रूरी है जो बलात्कार के अपराध का निर्माण करते हैं:

- **उसकी मर्जी के खिलाफ:** इस तत्व का मतलब है कि महिला ने किसी भी परिस्थिति में यौन क्रिया के लिए सहमति नहीं दी है। यह स्वेच्छा से भाग न लेने पर जोर देता है।
- **उसकी सहमति के बिना:** यह महिला की मंजूरी या सहमति की गैर-मौजूदगी को दिखाता है। सहमति साफ़-साफ़ होनी चाहिए, और इसकी गैर-मौजूदगी को बलात्कार माना जाता है।
- **डर के तहत ली गई सहमति:** अगर किसी महिला की सहमति उसे या उसके किसी करीबी को जान से मारने या चोट पहुँचाने की धमकी देकर ली जाती है, तो इसे ज़बरदस्ती और अमान्य माना जाता है।
- **पहचान की गलतफ़हमी के तहत सहमति:** जब कोई महिला इस विश्वास के साथ सहमति देती है कि वह पुरुष उसका पति है, लेकिन वह नहीं होता, तो उस सहमति को अमान्य माना जाता है।
- **मानसिक अस्थिरता या नशे की हालत में दी गई सहमति:** अगर कोई महिला नशे, मानसिक अस्थिरता, या ड्रग्स के असर की वजह से अपनी सहमति के स्वरूप और नतीजों को समझने में असमर्थ है, तो उस सहमति



को अमान्य माना जाता है।

- **आयु-संबंधी कारक:** सोलह वर्ष से कम आयु की किसी लड़की के साथ, उसकी सहमति हो या न हो, यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाता है। यह आयु-सीमा नाबालिगों को यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करने पर ज़ोर देती है।

धारा 375 के अंतर्गत बलात्कार के अपराध को समझने में 'उसकी इच्छा के विरुद्ध' और 'उसकी सहमति के बिना' – ये वाक्यांश अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

- **उसकी मर्जी के खिलाफ:** इसका मतलब है कि यह काम महिला के विरोध के बावजूद किया गया। यह ज़ोर-ज़बरदस्ती या धमकी की ओर इशारा करता है, जिससे यह साफ़ हो जाता है कि महिला की सहमति नहीं थी। मर्जी का न होना, सहमति न होने का एक साफ़ संकेत है।
- **उसकी सहमति के बिना:** इसमें वे हालात शामिल हैं जहाँ महिला शायद डर, उलझन या किसी के बहकावे में आकर खुलकर विरोध न करे, लेकिन वह इस काम के लिए अपनी मर्जी से, साफ़ तौर पर और पूरी जानकारी के साथ सहमति न दे। सहमति एक सक्रिय, पूरे उत्साह के साथ और पूरी जानकारी पर आधारित फैसला होनी चाहिए, न कि सिर्फ़ 'नहीं' न कहना।

43. इन तत्वों को समझना, धारा 375 की बारीकियों को समझने और यौन संबंधों में सहमति के महत्व को पहचानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि कानूनी ढांचा व्यक्तियों को यौन हिंसा से सुरक्षा प्रदान करे और उनकी स्वायत्तता तथा गरिमा को बनाए रखे।

44. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'कैनी राजन बनाम केरल राज्य' (2013) 9 एस सी सी 113 के मामले में, पैराग्राफ 12 में, बलात्कार के अपराध के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट किया है; विशेषकर उन मामलों में जहाँ इस बात को लेकर संदेह बना रहता है कि क्या पीड़िता ने अपराधी के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे। उपर्युक्त निर्णय का पैराग्राफ 12 यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है -

“..12. आई पी सी की धारा 375 में “बलात्कार” (रेप) शब्द को परिभाषित किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि पहला खंड तब लागू होता है, जब

महिला अपने होश-हवास में होती है, और इसलिए सहमति देने में सक्षम होती है, लेकिन यह कृत्य उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जाता है; और दूसरा, जब यह उसकी सहमति के बिना किया जाता है; तीसरा, चौथा और पाँचवाँ खंड तब लागू होता है, जब सहमति तो होती है, लेकिन वह ऐसी सहमति नहीं होती जो अपराधी को दोषमुक्त कर सके, क्योंकि यह सहमति उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसमें उसकी रुचि हो, मृत्यु या चोट के भय में डालकर प्राप्त की गई होती है। “उसकी इच्छा के विरुद्ध” शब्द का अर्थ है कि यह कृत्य महिला के विरोध के बावजूद किया गया होना चाहिए। सहमति के संबंध में कोई निष्कर्ष केवल मामले के साक्ष्यों या संभावनाओं के आधार पर ही निकाला जा सकता है।

“सहमति” को तर्क-बुद्धि और सोच-विचार से जुड़ा एक कृत्य भी बताया गया है। यह किसी व्यक्ति के मन में उस कृत्य को होने देने की एक सक्रिय इच्छा को दर्शाता है, जिसके बारे में शिकायत की गई हो। आई पी सी की धारा 90 में “सहमति” शब्द का उल्लेख किया गया है। हालाँकि, धारा 90 में “सहमति” को परिभाषित तो नहीं किया गया है, लेकिन यह बताया गया है कि सहमति क्या नहीं है। धारा 375 के प्रयोजन के लिए, “सहमति” में न केवल कृत्य के महत्व और नैतिक प्रकृति के ज्ञान पर आधारित बुद्धि के प्रयोग के बाद की गई स्वैच्छिक भागीदारी की आवश्यकता होती है, बल्कि विरोध और स्वीकृति के बीच चुनाव करने के अधिकार का पूरी तरह से प्रयोग करने के बाद की गई भागीदारी की भी आवश्यकता होती है। सहमति थी या नहीं, इसका पता केवल सभी प्रासंगिक परिस्थितियों के सावधानीपूर्वक अध्ययन के आधार पर ही लगाया जा सकता है।”

45. धारा 375 के तहत कई ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जो सहमति को अमान्य कर देती हैं, जिससे इन परिस्थितियों में किया गया कोई भी यौन कृत्य बलात्कार माना जाता है। इनमें शामिल हैं:

- **धमकी या ज़बरदस्ती के तहत:** यदि सहमति, महिला या उसके किसी करीबी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर नुकसान के डर में डालकर प्राप्त की जाती है, तो इसे ज़बरदस्ती और अमान्य माना जाता है।

46. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान उस निष्कर्ष की ओर दिलाया है, जो विचारण न्यायालय ने इस बिंदु पर दिया था कि कथित अपराध के समय पीड़िता बालिग थी। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया है कि पीड़िता के अपीलकर्ता के साथ आपसी सहमति से यौन संबंध थे, और पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआर.पी.सी. के तहत दर्ज कराए गए अपने बयान में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह अपीलकर्ता से प्रेम करती थी और अपनी स्वेच्छा से उसके साथ गई थी। विवेचना अधिकारी (पी



डब्लू -7) ने भी न्यायालय के समक्ष अपनी प्रतिपरीक्षा (प्रति-परीक्षण) में उपर्युक्त तथ्य को बल प्रदान किया है, जब उसने यह कहा कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए अपने बयान में कभी यह नहीं कहा कि अपीलकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया था। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय ने, पीड़िता के साक्ष्य में मौजूद विसंगतियों को नोट करने के बावजूद—जहाँ उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए अपने बयान से स्पष्ट रूप से पलटाव किया था—और इस तथ्य के बावजूद कि चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष की इस कहानी का समर्थन नहीं करते कि अपीलकर्ता/अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था, अपीलकर्ता को दोषी ठहराते समय अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में मौजूद अविश्वसनीय बातों पर भरोसा किया।

47. सुविधा की दृष्टि से, पीड़ित का धारा 164 सीआर.पी.सी. के अंतर्गत दर्ज बयान नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है :-

“नाम -विनीता उम्र -18 वर्ष पुत्री रामस्वरूप नि०-लुहारी थाना सकरार जिला झाँसी ने बयान दिया की दिनांक 28/5/15 को सुबह 05:00 बजे भगवत निवासी लुहारी के साथ झाँसी आ गई वहाँ से मऊ गई मऊ में रात भर स्टेशन पर रही / भगवत को मैं प्रेम करती थी इसलिए अपनी मर्जी से चली गई / मार्कशीट में उम्र 14 वर्ष है / उम्र कम लिखाई थी / मैं अहिरवार जाति की हूँ

प्रमाणित किया जाता है की बयान उपरोक्त पीड़िता विनीता के बोलने पर शब्द ब शब्द खुले व खाली न्यायालय में लिखे एवं पढ़कर सुनाया गया ।”

48. ऐसे अपराध में कुछ भी शामिल हो सकता है—आपराधिक धमकी, अधिकार का दुरुपयोग, या किसी भी अन्य प्रकार का दबाव; जिससे एक ऐसा माहौल बन जाता है कि महिला अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर, आरोपी की मनमर्जी और सनक के अनुसार काम करने को मजबूर हो जाती है। आपराधिक धमकी, जैसा कि आई.पी.सी. की धारा 503 में परिभाषित है, में ऐसी धमकियाँ शामिल हैं जिनसे उस व्यक्ति के मन में किसी नुकसान का उचित डर पैदा हो जाए, ताकि उस व्यक्ति से कोई काम करवाया जा सके।

49. धारा 366 के मामलों में सहमति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी महिला का अपहरण किया जाता है, अथवा उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है, तो यह कृत्य दंडनीय है। इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सहमति को प्रभावित करने के लिए किए गए किसी भी प्रकार के दबाव, बल-प्रयोग अथवा



सत्ता के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाए।

50. पीड़िता ने ट्रायल कोर्ट के सामने अपनी गवाही में (पीडब्लू -3 के तौर पर), अपनी मुख्य विवेचना के दौरान, यह बयान दिया है कि आरोपी भागवत उसके घर आया और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया; रास्ते में उसने एक खेत में उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया, और फिर वह पीड़िता को मौरानीपुर ले गया, और वहाँ से बस द्वारा उसे झाँसी ले गया।

51. पीड़िता ने अपनी प्रति-परीक्षा में बताया है कि आरोपी भागवत रात 12:00 बजे आया था और दरवाज़ा उसने ही खोला था; कि वह उसे ज़बरदस्ती ले गया था; कि उसने शोर मचाया था, लेकिन किसी ने नहीं सुना; और यह कि उसके माता-पिता घर पर ही थे। पीड़िता ने अपनी क्रॉस-एग्जामिनेशन में इस बात का भी ज़िक्र किया है कि उसने मौरानीपुर में तो शोर मचाया था, लेकिन झाँसी में उसने कोई शोर नहीं मचाया।

52. ट्रायल कोर्ट ने, पीड़ित के बयान की सहमति और एक विश्वसनीय गवाह के तौर पर विवेचना करने के बजाय, यह ज़िम्मेदारी आरोपी पर डाल दी कि आरोपी/अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने गवाह से इस बात के अलावा कोई सवाल नहीं पूछा कि उसने शोर मचाया था, लेकिन कोई नहीं आया; और सिर्फ़ इसी आधार पर, पीड़ित के बयान को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। ट्रायल कोर्ट ने, पीड़ित के मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 सीआर.पी.सी. के तहत दिए गए बयान में तथ्यों से मुकर जाने के संबंध में—कि पीड़ित आरोपी/अपीलकर्ता से प्यार करती थी और अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी—यह माना है कि मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया पीड़ित का बयान केवल एक पुष्टिकारी सबूत है, न कि मुख्य सबूत; और ऐसा करते हुए, उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराते समय मौजूद परिस्थितियों को नज़रअंदाज़ कर दिया। पीड़ित द्वारा मेडिकल विवेचना के समय डॉक्टर को दिया गया बयान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें पीड़ित ने कहीं भी यह नहीं कहा कि अपीलकर्ता उसे उसके पिता के घर से ज़बरदस्ती ले गया था, या घटना वाले दिन अपीलकर्ता ने उसे धोखा देकर घर छोड़ने के लिए मजबूर किया था।

53. किसी आपराधिक मुकदमे में, सबूत का भार शुरू में अभियोजन पक्ष पर होता है, और अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह अपना शुरुआती भार पूरा करे, इससे पहले कि आरोपी पर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत पेश करने का भार डाला जाए। ट्रायल कोर्ट से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह अपना फैसला इस आधार पर दे कि आरोपी ने कुछ खास



सवाल नहीं पूछे; बल्कि कोर्ट को यह देखना होता है कि अभियोजन पक्ष ने अपना भार सफलतापूर्वक पूरा किया है या नहीं, इससे पहले कि आरोपी से उन सवालों का जवाब देने की उम्मीद की जाए।

54. ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला पूरी तरह से पीड़ित की एकमात्र गवाही पर आधारित है। सूचना देने वाला (पी डब्लू -1) और पीड़ित की माँ (पी डब्लू -2) चश्मदीद गवाह नहीं हैं।

55. माननीय उच्चतम न्यायालय ने, राज्य (दिल्ली का जी एन सी टी) बनाम विपिन @ लल्ला, 2025 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 78 के मामले में, पैरा 10 में यह टिप्पणी की है कि :-

“10. हालाँकि यह बिल्कुल सच है कि बलात्कार के मामले में, केवल पीड़िता की गवाही के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, क्योंकि उसकी गवाही एक 'पीड़ित गवाह' के रूप में होती है, जिसे न्यायालयें बहुत अधिक महत्व देती हैं। लेकिन फिर भी, जब किसी व्यक्ति को केवल एक गवाह की गवाही पर दोषी ठहराया जा सकता हो, तो न्यायालयें ऐसे गवाह की विवेचना-परख करने में अत्यंत सावधानी बरतने के लिए बाध्य होती हैं; और इसलिए, ऐसे गवाह की गवाही से न्यायालय का पूर्ण विश्वास जागृत होना अनिवार्य है। अतः, प्रस्तुत मामले में पीड़िता की गवाही न तो ट्रायल कोर्ट, न ही हाई कोर्ट, और न ही इस न्यायालय का पूर्ण विश्वास जीतने में सफल हो पाई है।”

56. पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि अपीलकर्ता ने रात 12:00 बजे उससे दरवाज़ा खुलवाया और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले गया; उस समय उसकी माँ और पिता सो रहे थे। उसने शोर मचाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। पीड़िता ने अपनी जिरह में कहा है कि घटना के समय वह अपने घर की छत पर सो रही थी और उसकी माँ और पिता नीचे सो रहे थे। पीड़िता आगे कहती है कि उसने घर का दरवाज़ा खोला था और जब अपीलकर्ता उसे ज़बरदस्ती ले जा रहा था, तो उसने शोर मचाया था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। पी डब्लू -1 रामस्वरूप ने अपनी गवाही में कहा है कि घटना के समय वह अपने घर पर एक नीम के पेड़ के नीचे सो रहा था। यह बहुत ज़्यादा संभव लगता है कि जब पीड़िता को उसके घर से ज़बरदस्ती अगवा किया जा रहा था और उसने शोर मचाया था, तब उसके माता-पिता सोते रहे और अपनी बेटी के शोर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी; उन्हें अपनी बेटी के अपहरण का पता तब चला, जब वे रात 3:00 बजे जागे और उन्हें अपनी बेटी घर पर नहीं मिली। सूचनाकर्ता ने अपनी जिरह में कहा है कि उसकी बेटी 29 तारीख को बरामद हुई थी, जबकि पीड़िता ने अपने



बयान में कहा है कि पुलिस ने उसे दो दिन बाद, यानी 30 जून से पहले नहीं, मऊरानीपुर से बरामद किया था; पुलिस स्टेशन महिला थाने की पुलिस उसे 02.06.2015 को अपने साथ ले गई थी और उसी दिन उसे मेडिकल विवेचना के लिए अस्पताल ले जाया गया था। पीड़िता की मेडिकल विवेचना रिपोर्ट रिकॉर्ड पर पेपर एक्सट.का.3 के रूप में मौजूद है, जिसकी तारीख 30.05.2015 है। पीड़िता और सूचनाकर्ता के बयानों में उस तारीख को लेकर कुछ आंतरिक विरोधाभास हैं, जिस तारीख को पुलिस ने उसे बरामद किया था या वह घर वापस आई थी; लेकिन विचारण न्यायालय इन बिंदुओं पर विचार करने में विफल रहा है।

57. पीड़िता ने, मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआर.पी.सी. के तहत दिए गए अपने बयान में, कहा है कि वह अपीलकर्ता से प्रेम करती थी और अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। पीड़िता ने, डॉक्टर (पी डब्लू-4) को दिए गए अपने बयान में, कहा है कि वह अपने घर की छत पर सो रही थी और वह तथा अपीलकर्ता झाँसी चले गए। पीड़िता का बयान, जैसा कि प्रदर्श 'का -3' में दर्ज है, नीचे दिया जा रहा है—

"..27-28 मई की रात में मैं अपने घर की छत पर सो रही थी | जहाँ से मैं भागवत नाम के एक लड़के के साथ झाँसी चली गई | वहाँ से मैं मऊ चली गई | जहाँ मैं उस लड़के के साथ किसी जगह रुकी | जहाँ अगले दिन उस लड़के और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया ...".

58. पीड़िता ने डॉक्टर के सामने, अपनी माँ की मौजूदगी में बयान दिया है और इसमें कोई शक नहीं कि पीड़िता अपीलकर्ता के नियंत्रण और प्रभाव से पूरी तरह मुक्त थी। इस बयान में, पीड़िता ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि अपीलकर्ता उसे ज़बरदस्ती उसके घर से उठाकर ले गया था और रास्ते में किसी खेत में उसके साथ बलात्कार किया था। इस बयान की पुष्टि पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 सीआर.पी.सी. के तहत दिए गए बयान से भी होती है; लेकिन ट्रायल कोर्ट के विवादित फैसले में इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है और इस बात की कोई व्याख्या नहीं दी गई है कि जब पीड़िता अपीलकर्ता के प्रभाव और नियंत्रण से मुक्त थी, तब भी उसने अपीलकर्ता द्वारा अपने अपहरण और बलात्कार के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन क्यों नहीं किया।

59. पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि 02.06.2015 को पुलिस उसे महिला थाने ले गई, जहाँ उसका बयान दर्ज किया गया। इस बयान में उसने पुलिस को बताया कि भागवत



ने उसके साथ बलात्कार किया था और ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उसी दिन, उसे मेडिकल विवेचना के लिए ज़िला अस्पताल ले जाया गया और उसकी माँ भी उसके साथ थी। गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस बात को स्वीकार किया है कि मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज किया गया था। अपनी जिरह में, पीड़िता ने कहा कि उसने मजिस्ट्रेट को यह नहीं बताया था कि वह भागवत से प्यार करती थी और वह अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी; और मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त बयान को गलत तरीके से दर्ज किया है। पीड़िता ने अपनी जिरह में यह भी कहा कि उसने मजिस्ट्रेट को यह नहीं बताया था कि उसके साथ बलात्कार हुआ था, और इसी कारण से मजिस्ट्रेट ने इस बात को दर्ज नहीं किया। अभियोजन पक्ष के सबूतों में कहीं भी यह कारण नहीं बताया गया है कि मजिस्ट्रेट ने पीड़िता का ऐसा बयान क्यों दर्ज किया, जो ट्रायल कोर्ट के सामने दिए गए पीड़िता के बयान के बिल्कुल विपरीत है।

60. रिकॉर्ड की विवेचना से पता चलता है कि पीड़िता की मेडिकल विवेचना 30-05-2015 को हुई थी, और पीड़िता ने गलत बयान दिया है कि उसकी मेडिकल विवेचना 02-06-2015 को की गई थी। पीड़िता ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि अपने बयान के समय उसने मजिस्ट्रेट को यह नहीं बताया था कि अपीलकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया था। ट्रायल कोर्ट अपने फैसले में इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करने में विफल रहा कि पीड़िता ने अपनी मेडिकल विवेचना के समय डॉक्टर को यह नहीं बताया था कि अपीलकर्ता उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया था। डॉक्टर के सामने दिया गया बयान समय के हिसाब से सबसे पहला बयान था, और मेडिकल रिपोर्ट में यह निष्कर्ष भी शामिल है कि पीड़िता के हाइमन में पुराना फटा हुआ निशान था जो ठीक हो चुका था; साथ ही, खून बहने या किसी तरह के स्राव का कोई संकेत नहीं था, और विवेचना के दौरान पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी चोट भी नहीं पाई गई। डॉक्टर के सामने बयान देने के उस महत्वपूर्ण समय पर, पीड़िता को उसके माता-पिता या पुलिस द्वारा सिखाए-पढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं थी। डॉक्टर एक स्वतंत्र प्राधिकारी होता है, और अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य को छिपाया है कि पीड़िता ने डॉक्टर के सामने इस तरह का बयान दिया था।

61. वास्तव में, ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष सही है कि मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया पीड़िता का बयान, सबूत का कोई ठोस टुकड़ा नहीं है; लेकिन सीआर.पी.सी. की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान से मुकर जाना, कोर्ट के सामने शपथ लेकर गवाही



देते समय गवाह की विश्वसनीयता पर संदेह की छाया डालता है। ऐसे में, अभियोजन पक्ष को उन परिस्थितियों की व्याख्या करनी चाहिए जिनके तहत मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज किया गया था—विशेषकर तब, जब पीड़िता ने इससे पहले डॉक्टर को घटना के संबंध में जो बयान दिया था, उसमें उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था। इस संदर्भ में, पी डब्लू -4 रश्मि सिंह कुशवाहा की गवाही अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

62. पीड़िता की मेडिकल जांच 30-05-2015 को दोपहर 3:00 बजे की गई थी। मेडिकल जांच रिपोर्ट दस्तावेज़ का'4 है। जांच करने वाले डॉक्टर ने, जांच के दौरान, पाया कि हाइमन में पुराना फटा हुआ निशान था और वह ठीक हो चुका था। पीड़िता ने डॉक्टर के सामने बयान दिया है कि वह छत पर सो रही थी और फिर वह अपीलकर्ता के साथ झांसी चली गई। जांच करने वाले डॉक्टर की राय थी कि वह ठीक हो चुका था और हाल ही में हुई किसी भी यौन गतिविधि का कोई सबूत नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने, अपने फैसले में, मेडिकल रिपोर्ट में दी गई राय के संबंध में, यह माना है कि घटना 25-05-2015 को 12:00 बजे हुई थी और पीड़िता की मेडिकल जांच 5 दिन बाद की गई थी। ट्रायल कोर्ट का उपरोक्त निष्कर्ष रिकॉर्ड से परे है, क्योंकि एफआईआर 28.05.2015 को दोपहर 12:25 बजे मुखबिर के आवेदन दस्तावेज़ का'1 (दिनांक 28.05.2015) पर दर्ज की गई थी। फैसले के पृष्ठ 20 पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष में यह माना गया है कि पीड़िता की मेडिकल जांच 30.05.2015 को की गई थी और घटना की तारीख 25.05.2015 को 12:00 बजे है। मेडिकल जांच 5 दिन बाद की गई थी। कोर्ट का यह निष्कर्ष, जिसमें उसने अधिवक्ता द्वारा पेश की गई इस दलील को खारिज कर दिया कि मेडिकल जांच रिपोर्ट और वैजाइनल स्मीयर रिपोर्ट अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती हैं, विकृत और निंदनीय है, और यह अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए उसके पक्ष में मौजूद सबूतों को छिपाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास प्रतीत होता है। यह आपराधिक कानून के उन मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है, जिनके अनुसार मामले के गुण-दोष पर कोई भी राय व्यक्त करने से पहले अभियोजन पक्ष को अपना दायित्व (सबूत पेश करने का भार) पूरा करना अनिवार्य होता है।

63. भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता) की धारा 376 के तहत बलात्कार के मामलों में, आरोपी के अपराध को 'उचित संदेह से परे' साबित करने का पूरा दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है। यह सिद्धांत **निर्दोषता की धारणा** (निर्दोषता की धारणा) से उत्पन्न होता



है, जो आपराधिक न्यायशास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है। आरोपी पर अपनी निर्दोषता साबित करने का कोई दायित्व नहीं होता, जब तक कि कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान इस दायित्व को स्थानान्तरित न कर दे (उदाहरण के लिए, आई पी सी या अन्य कानूनों के तहत कुछ अपवाद)। बलात्कार के मुकदमों में (जो धारा 376(2) में सूचीबद्ध गंभीर प्रकारों के अंतर्गत नहीं आते), अभियोजन पक्ष को अपराध के सभी तत्वों को साबित करना होता है, जिसमें शामिल हैं:

- यौन संबंध

- सहमति का अभाव

आरोपी का इन तत्वों को साबित करने या इनका खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई कर्तव्य नहीं होता। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 ए के तहत एक सीमित बदलाव आता है; यह धारा केवल आई पी सी की धारा 376(2) के निर्दिष्ट खंडों (गंभीर प्रकार का बलात्कार, उदाहरण के लिए, किसी प्राधिकारी पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा किया गया बलात्कार) के तहत चलने वाले मुकदमों पर लागू होती है। यहाँ, यदि अभियोजन पक्ष यौन संबंध साबित कर देता है और पीड़िता अपने साक्ष्य में यह बयान देती है कि उसने सहमति नहीं दी थी, तो न्यायालय 'सहमति के अभाव' की धारणा बना लेगा, जिससे इस धारणा का खंडन करने का दायित्व आरोपी पर आ जाता है। इसके बावजूद, अपराध को साबित करने का समग्र दायित्व अभियोजन पक्ष पर ही बना रहता है। धारा 114 ए न तो निर्दोषता की सामान्य धारणा को उलटती है, और न ही यह आरोपी से तब अपनी निर्दोषता साबित करने की अपेक्षा करती है जब मूल अपराध का कोई साक्ष्य ही मौजूद न हो।

64. माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस बात को और मज़बूत करते हैं कि जब तक कोई खास कानून कोई नकारात्मक भार न डाल दे, तब तक आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं होती। अभियोजन पक्ष को आरोपी का अपराध बिना किसी उचित संदेह के साबित करना होता है। अभियोजन पक्ष को आरोपी का अपराध बिना किसी उचित संदेह के साबित करना होता है, जबकि आरोपी को बेगुनाह माने जाने का अधिकार होता है और उस पर अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई भार नहीं होता।

65. यहाँ तक कि 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' (पॉक्सो अधिनियम) के तहत आने वाले मामलों में भी, सबूत का भार सामान्य आपराधिक कानून से काफी अलग होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कानून में कुछ ऐसी कानूनी मान्यताएँ हैं जो पीड़ित बच्चों की



रक्षा करती हैं, हालाँकि अभियोजन पक्ष की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ फिर भी बनी रहती हैं। पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और 30, इस कानून की धारा 3 (पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट), धारा 5 (गंभीर पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट), धारा 7 (सेक्शुअल असॉल्ट) और धारा 9 (गंभीर सेक्शुअल असॉल्ट) के तहत आने वाले अपराधों के लिए कुछ अनिवार्य मान्यताएँ (पूर्वानुमान) लागू करती हैं। लेकिन पॉक्सो अधिनियम के तहत भी, ये मान्यताएँ अभियोजन पक्ष को उसकी ज़िम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त नहीं करतीं, और न्यायालयें लगातार यह मानती रही हैं कि:

1. अभियोजन पक्ष को सबसे पहले "बुनियादी तथ्य" (जैसे पीड़ित की उम्र 18 वर्ष से कम होना, घटना का घटित होना, और आरोपी की पहचान) बिना किसी उचित संदेह के साबित करने होंगे।
2. ये तथ्य साबित हो जाने के बाद ही धारा 29 और 30 के तहत दी गई उपधारणाएँ (पूर्वानुमान) लागू होती हैं।
3. एक बार लागू हो जाने पर, इन उपधारणाओं को गलत साबित करने का भार आरोपी पर आ जाता है (जैसे, अपनी बेगुनाही या किसी गलत इरादे की कमी साबित करना); आमतौर पर यह 'संभावनाओं के संतुलन' (संभावना की अधिकता) के आधार पर किया जाता है, न कि 'बिना किसी उचित संदेह के' आधार पर।
4. यदि बुनियादी तथ्य बिना किसी उचित संदेह के साबित नहीं हो पाते हैं, तो उपधारणाएँ लागू नहीं हो सकतीं, और आरोपी को बरी कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस बात की पुष्टि करते हैं कि जहाँ सबूत विश्वसनीय होते हैं, वहाँ उपधारणाएँ दोषसिद्धि में सहायक होती हैं; लेकिन ये बुनियादी तथ्यों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दिए जाने वाले ठोस सबूतों की ज़रूरत की जगह नहीं ले सकतीं। यानी, बिना किसी बुनियादी सबूत के, केवल उपधारणाओं के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

66. नॉन- पॉक्सो रेप केस (जैसे, आईपीसी /बीएनएस के तहत) में, पूरा भार अभियोजन पर रहता है और ऐसी कोई ज़रूरी सोच नहीं होती (सिवाय कुछ सीमित सोच के, जैसे कि एग्रेवेटेड फॉर्म के लिए सेक्शन 114 ए एविडेंस एक्ट)। पॉक्सो का ज़्यादा सख्त तरीका बाल पीड़ितों की कमज़ोरी को दिखाता है।



67. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, विजया सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य, 2024 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 3510 मामले में, पैरा 26, 27 और 31 में यह टिप्पणी की है कि सीआर.पी. सी. की धारा 164 के तहत दिए गए बयान को, गवाह के सिर्फ यह कहने पर कि उसे सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं किया गया था, खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट की यह न्यायिक संतुष्टि कि जो बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है, वह गवाह द्वारा बताए गए तथ्यों का सही रूप है, ऐसे हर बयान का एक अहम हिस्सा होती है; और अगर गवाह उस बयान से पीछे हटना चाहता है, तो उस पर यह साबित करने का ज़्यादा बड़ा भार होना चाहिए। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि अगर किसी गवाह को, मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए गए और उसके द्वारा हस्ताक्षरित बयान से, सिर्फ कमज़ोर आधारों या कोरे दावों के आधार पर पीछे हटने की अनुमति दे दी जाए, तो इससे पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किए गए बयान और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किए गए बयान के बीच का अंतर असल में खत्म ही हो जाएगा।

68. न्यायालय के सामने पीड़िता के सबूतों, धारा 164 सीआर.पी.सी. के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए उसके बयान और मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पीड़िता और अपीलकर्ता के बीच संबंध थे और पीड़िता 28.05.2015 को अपनी मर्जी से अपने पिता का घर छोड़कर चली गई थी। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि पीड़िता को उसकी मर्जी के खिलाफ या उसकी सहमति के बिना उसके पिता के घर से दूर जाने के लिए बहकाया गया था। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है - सिवाय ट्रायल कोर्ट के सामने पीड़िता के बयान के - जिससे यह साबित हो कि अपीलकर्ता ने ज़बरदस्ती पीड़िता के साथ संबंध बनाए और उसके साथ बलात्कार किया। ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष कि घटना के समय पीड़िता बालिग थी, उसे एक सहमत पक्ष बनाता है; और अपीलकर्ता पर कोई आपराधिक दायित्व नहीं थोपा जा सकता, जब पीड़िता खुद अपनी मर्जी से अपीलकर्ता के साथ जाने के लिए अपने पिता का घर छोड़कर गई थी। मेडिकल जांच रिपोर्ट और वैजाइनल स्मियर रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के इस दावे को गलत साबित करती हैं कि पीड़िता का अपहरण किया गया था और अपीलकर्ता ने उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया था। ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सबूतों के प्रभाव को समझने में विफल रहा, और घटना की तारीख को 28.05.2015 के बजाय 25.05.2015 के रूप में गलत पढ़कर - और इस



तरह रिकॉर्ड पर मौजूद मेडिकल सबूतों पर अविश्वास करके - अपीलकर्ता को आई.पी.सी. की धारा 366 और 376 के तहत अपराध का दोषी ठहराने में एक गंभीर त्रुटि की है।

69. ऊपर की गई चर्चा के आधार पर, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि का फैसला और आदेश मान्य नहीं है और उसे रद्द किया जाना चाहिए।

70. इसलिए, अपीलकर्ता, भागवत कुशवाहा द्वारा दायर की गई आपराधिक अपील स्वीकृत की जाती है।

71. दिनांक 05.09.2019 का फैसला और आदेश, तथा दिनांक 06.09.2019 का सज़ा का आदेश अपास्त किए जाते हैं।

72. अपीलकर्ता, भागवत कुशवाहा, हिरासत में है और जेल में बंद है। उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, बशर्ते कि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो। रिहा होने से पहले, अपीलकर्ता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481 (जो सीआर.पी.सी. की धारा 437-ए के समतुल्य है) के तहत 25,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका भरना होगा; यह मुचलका इस शर्त पर होगा कि यदि उसकी दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील दायर की जाती है, तो वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

73. इस निर्णय और आदेश की एक प्रति, ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के साथ, सूचना और आवश्यक अनुपालन हेतु ट्रायल कोर्ट को भेजी जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव)

13 जनवरी, 2026

के एस